RAJYA SABHA

Monday the 18th *August,* 2003/27 *Sravana,* 1925 *(Saka).*

The House met at eleven of the Clock.

MR. CHAIRMAN *in the Chair*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*361 The questioner (Shri Moti Lal Vora) was absent. For answer *vide* page 38 infra.]

*362 The questioner (Shri Datta Meghe) was absent. For answer *vide* page 39—40 infra.]

*363 The questioners (Shri K. Natwar Singh and Dr. T. Subbarami Reddy) were absent. For answer *vide page* 40-41 infra.]

*364 The questioner (Shri Mati Lal Sarkar) was absent. For answer *vide* page 42 infra.]

(1)

संस्थाओं को भुखंड आबंटान

*365 **श्री लाजपत रायः** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष 291 संस्थाओं को डी. डी. ए द्वारा भुखंड आवंटन की जांच का कार्य सी, बी. आई को सौपा गया हैः

(ख) यदि हां. तो इस जांच की क्यों आवश्यकता पड़ी,

(ग) क्या सी, बी. आई द्वारा इस जांच को अभी पूरा किया जाना शेष हैः और

से (घ) यदि हां. तो यह जांच कबतक पुरी कर ली जाएगी?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (मेजर जनरल से, नि, भुवन चन्द्र खण्डूडी (क)

से (घ) एक विवरण ,सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

(क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण सूचित किया है कि उसने संसथानिक भुमी के आवंटन की किसी जांच का कार्य किन्द्रय जांच ब्यूरी (सीबीआई) को नही सौंपा है। तथापी, दीय जांच ब्युरो ने स्वतः ही भूमी आर्बटन की चार फउलें जांच हेतु मांगी है । अशोक एजुकेशन बेलफेयर सोसाएटी के संबंध में एक अन्य फाइल तत्कालीन उपाध्यक्ष. दिल्ली विकास करण के कार्यालय में तलाय़शी के दौरान केन्द्रय जांच ब्यूरो ने कब्जे में ले ली थी और अब

वह फाइल वापस लौटा दी गई है । दिल्ली विकास प्राधिकरण को कोई मामला दर्ज हो ने की कोई सूचना नही मिली है ।

Allotment of Land to Institutions

†365. SHRILAJPAT RAI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT and POVERTY ALLEVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the CBI has been entrusted with the task to investigate into the allotment of land by DDA to 291 institutions during the last year;

(b) if so, what necessitated this investigation;

(c) whether the probe is yet to be completed by the CBI; and

(d) if so, by when the probe is likely to be completed?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION [MAJ. GEN (RETD.) B.C. KHANDURI]: (a) to (d) A Statement is placed on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (d) The Delhi Development Authority (DDA) has reported that it has not entrusted any investigation into allotment of institutional land to the Central Bureau of Investigation (CBI). However, CBI has *suo-motu* requisitioned four files of land allotment for verification. One other file in respect of Ashok Education and Welfare Society was seized by the CBI during the search in the office of the then Vice Chairman, DDA and has since been returned. No intimation regarding registration of any case has been received by DDA.

SHRI LAJPAT RAI: What is the number of applications received? What is the criterion for accepting or rejecting the applications? How many applications have been rejected and how many are pending?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी सभापत्ती जी, हमारे पास जो ऐप्लीकेशंस आई थी, उनकी फिगर 291 दी गई है लेकिन सही फगर 287 चैरका नाम दुबार लिख दिया गया था । जो डी डी, ए पास ऐप्लीकेशंस आई है, वे इस प्रकार है । 1996 में 163 में 149, 1998 में 113, 1999 में 163 सन 2000 में 146, 2001 में 190, 2002 में 148 और 2003 में 287 ऐप्लीकेशंस है । जिन्के उर डी, डी, ए विचार किया है। उनमें से 43 स्वीकृत हो गई है. बाकी और विचाराधीन है। इसमे कुछ केसेज में ऐसा होता है कि उनसे कुछ और कागजात वगैरह मांगने

† Original notice of the question was received in Hindi.

का दो प्रक्रिया है, इसके अनुसार कमेटी की मींटिंग के बाद वाइस चेयरमैन, डीडीअ के पास जाती औऱ उनके बाद लेफटिनेट गर्वर के पास जाती है । उस प्रकिया समय लगता है । इस प्रकार जो अन्दर हुई है, उनकी संख्या 43 है ।

SHRI LAJPAT RAI: What were the causes for referring the cases to the CBI? By what time will it be finalised?

मेजर जनरल (सेवानियुत्त) भुवन चन्द्र खन्डुडी़ :महोदय, जैसा मैने जवाब मे भी कहा है कि मैने सीबीआई को केस रेफर नही किए है । सीबीआई ने सुओ-मोये ये केस लिए है । चार दिन उन्होने लिए है ऐसा हमें बताया गया है । जैसा मैने जवाब मे ही कहा है, मै उसे दुबारा पढ़ सकता हूं "The Delhi Development Authority (DDA) has reported that it has
entrusted any investigation into allotment of institutional land to the Central Bureau of Investigation (CBI). However, the CBI has *suo motu* requisitioned four flies of land allotment for verification. One other file in respect of Ashok Education and Welfare Society was seized by the CBI during the search in the office of the then Vice-Chairman, DDA and has since been returned. No intimation regarding registration of any case has been received by DDA.

लाला लाजपत रायः सर, मै एक छोटी बात पुछना भुल गया What do you mean by institutions? What type of institutions are these? Are they banks or social organisations or any other organisation? What are these institutions?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डुडी़ :मानिय सभापति महोदय, यह प्रक्रिया 1981 में शुरू हुई थी और उसके लिए जिन इंस्टिटुयुर्शस को अधि कार था, इनका विवरण इस प्रकार है पहला वह रजिस्टर्ड बाडी होनी चाहिए । दुसरा इसको स्टेट गवर्नमेंट या सैंट्रल गवर्नमेंट उस विभाग, जिस विभाग से वह इंस्टीटुयुशन संबंधित है उसकी रिकर्मडेशन होनी चाहिए । महोदय, रिकर्मडिशन इसमें दी गई है,

(1) it is a non-profit organisation; (2) it is in possession of sufficient funds to meet the cost of the land and the construction of the building for its use and (3) the allotment is sponsored, as I said, by the concerned Department of the State Government or the Central Government. इन्हे मैं पढ़ देता हु कुछ ऐसा भी है जिसके लिए वे अधिकृत नही है।

No allotment can be made under certain conditions. The first condition is, no allotment can be made unless the institution directly subserves the interests of the population of the Union Territory of Delhi and secondly, it

is generally conducive to the planned development of the Union Territory of Delhi. (iii) it is apparent from the nature of the work to be carried out by the institution that the same cannot be carried out with equal efficiency anywhere else excepting the Union Territory of Delhi; (iv) unless it is a registered society under the Societies Registration Act or it is an institution held and run by the Government or by any local body or is constituted under any law in force; (v) it is non-profit making in character; (vi) it is in possession of sufficient funds to meet the cost of the land and constructon of buildings; and (vii) the allotment of such an institution is sponsored or recommended by the Department.

ये कंडीशन्स है जिनके अधीन इनको जमीन मिल सकती है।

श्री एस. एस. अलुवलियाः सभापति महोदय. मंत्री महोदय ने इंस्टीटुयुशन की परिभाषा और उसकी परिधि बताई पर इसके बरे में इन्होंने कहा कि एक तो वह नाम प्राफिट आर्गेमाइजेशन होनी चहिए और साथ ही साथ ही कहति हैं कि enough funds इसके पास भी होने चाहिए ताकि वह बिल्डिंग बना सके और उसको चला सके । ये दोनो self contradictory प्रपोजल्स या कंडीशंस्स है कि एक नाम प्रोफिट अर्गेनाजेशन हो और enough funds भी हों तब तो बडे लोगो के जो टस्ट्र है, वे ही यहां पर इंस्टीटुयुशन की परीभषा या परीधी अंदर आकर जगह ले सकते हैं, पर 1981 से लकर आदतक डितने इंस्टीटुयुशन्स को यह जगहे दी गई है और वहां जो इंस्टीटयुशम्स की बिस्डिग्ज बनी हुई है, वहां पर जाहां आपकी कंडीशन्स हैं उनके अनुसार काम होरहा है कि उनहोनेsub-let किया हुआ है किराय पर चडाया हुआ है और अपनी पुरी एकियविटीज आफटस्सोर्र की हुई है क्या आपने इसपर कोई इनक्वायरी की है और अगर की है तो क्या आपने उनको आइर्डेटिफाई किया है कि उन्होने मैनडेट के खिलाफ काम किया है और उनके खिलाफ क्या actionलिया गया है ?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडुंड़ी : सभापती महोदय सवाल के दोभाग है । पहला भगमे तो इनहो ने पुछा है कि अगर वह नाम प्राफभिट मेकिग तो वह कहां से पैसा लाइगी इतना जमीन देने केलिए। यहजो चिन्ता है यह सही है स्वाभाविक है लेकिन दुस्रा पहलु. यह भी है कि डीडीअ इसपरकार का संगटन नही है जो कि जमीन खरी कर स्सते दामों पर लोगो को दे सके । इसकी जमीन वैसे ही कमदामो पर. सुविधाजनक दामो पर दी जाती है। इस लिए जो भी संगठन इसके लिए एप्लाई करना चाहता है। अर्जी देना चाहता है, स्वभाविक है उसके पास पैसों का बंदोबस्त होना चाहिए उसका और कोई दुसरा विकल्प नही है कि संगठन के पास पैसे तो नही है लेकिन उनको जमीन दी जाए। इस प्रकार की व्यवस्था करना संभव नही है। हालाकी मै उनकी चिंता से ,हमत हुं वह कमदामो पर दीजाती है और जो संगठन जमीन पर अपने किसी कामको चलाना चाहता

है, उसका इसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी और ऐसे कई स्वंयसेवी संगठन है जिनके पास इस प्रकार की व्यवस्था है और वे देते हैं। जहां तक कि किस प्रकार के संगठन है या कोई स्कूल चलाना चाहता है, इस प्रकार की संस्थाएं बनाना चाहता है, तो उनके लिए भी इसमें व्यवस्था है।

दूसरे भाग में आपने पूछा है कि क्या किसी प्रकार की जांच-पड़ताल की है – मुझे इसकी जानकारी नहीं हैं कि इस प्रकार की कोई जांच – पड़ताल की है। मैं इसको जानकारी लेकर माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

श्री कुलदीप नैयर : कितने इंस्टीटयूशन्स धर्म या जाति से जुड़े हुएं है ? क्या आप उनकी संख्या बता सकते हैं ?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी **:** माननीय सभापति जी, जैसे मैंने कहा कि 288 की लिस्ट यहां पर है और जो 43 की लिस्ट मेरे पास है...

श्री सभापति : आप तो इतना सा बता दो कि नैयर जाति तो नहीं है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी : मैं कुछ चुनिंदा संगठनों के नाम पढ़ लेता हूं जिनकी ज़मीन दी गई है। मैं लिस्ट में से कुछ नाम पढ़ देता हूं। Jayatika Education & Welfare Society, Dr. Walia Charitable Trust. Ferry Educational Society, Sri Sankara Education & Welfare Society, Two Wings Welfare Society, Sarva Dharam Welfare Associatbn, Oswal Samaj, Shri Sanatan Dharam Mahadev' Mandit Sabha, the Dioceson Society North of India, Taruvar Society, Delhi Bhajan Samaj, Sindhi Panchayat, Paschinn Vihar, Shri Narayan Das Goel Memorial Association and others. इस प्रकार से बहुत से हैं। यदि आप चाहें तो यह सूची मैं आपको भेज सकता हूं लेकिन यह कहना बहुत मुश्किल है कि उसमें कोई शामिल है या नहीं है। जो शामिल हो या नही हैं। जो शामिल हो सकते हैं। उनकी परिभाषा मैंने आपको बता दी है।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, it is a very important question; a lot of discussion has taken place. इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो लास्ट इयर 291 फलैक्ट्स एलाट किए हैं, उन्हीं के बारे में सीबीआई इन्क्वायरी कर रही है या जो शुरू से ही एलाटमेंट हुई है ? आपने कहा है कि सीबीआई ने सूओमोटो इन्क्वायरी शुरू की है। जो पुरानी लिस्ट है क्या सरकार उसकी जांच के लिए भी रेफर करेगी ? सूओमोट इन्क्वायरी शुरू की है। जो पुरानी लिस्ट है क्या सरकार उसकी जांच के लिए भी रेफर करेगी ?ए और बी पूरी लिस्ट सदन के समक्ष न रखने का क्या सरकार कारण बताएगी ? क्या इसका ऐसे रखना उचित होगा और देशवासियों को पूरी जानकारी मिलेगी ? I want to knoyv the names and the background of the institutions that have been given any preferential treatment by the DDA. What is the position as of now?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी : सभापति जी,जैसा मैने कहा कि यहा 1981 में शुरू हुई थी और 1996 तक कितनी एप्लीकेन्शस आई है, कितनी विचारधीन है, वह मैंने बताया है । अभी जो 287 की फिगर दी है, इसके बारे में सीबीआई चर्चा कर रहा हैं या सिर्फ चार केसेज लिएं हैं , हमें इसकी जानकारी नहीं हैं । क्योंकि सीबीआई जो इन्क्वायरी कर रही है, वह हमसे पूछताछ या सलाह मशविरा करके नहीं कर रही है । उन्होनें कुछ सूओमोटो केस लिए हैं । लेकिन माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है, जो पहले के पुराने केसेज हैं, वह तो कर रही है । इसकी पूरी जानकारी लेकर माननीय सदस्य को मैं बता दूंगा ।

श्री राम नाथ कोविन्द : सभापति जी,डीडीए के बारे में इस प्रकार का एक इम्प्रशन है कि प्रत्येक वर्ष अथवा दो वर्ष के मध्य में वहां पर करप्शन के केसेज उजागर होते रहते हैं । 1979 के दौरान एक स्कीम निकाली गयी थी जिसको लगभग पच्चीस वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी भी जिन लोगों ने अपने मकानों के लिए, फलैट्स के लिए, आंबटन कराया था उनको अभी तक मकान प्राप्त नही हुएं हैं महोदय इस सबंध में अभी प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से 15 अगस्त को एक बात कही थी कि मामलों के निपटाने में जो देरी होती थी, the root cause of corrupption is there. मैं मंत्री महोदय, से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनके मंत्रायल की इस प्रकार की कोई योजना है जिसमें कि इनबिल्ट कोई मैकेनिज्म डेवलप हो ताकि इस प्रकार के करप्शन के केसेज को मिनिमाइज किया जा सके ?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खन्डूडी : सभापति जी, यह सवाल मुख्यतः एलाटमेंट से सबंधित है फिर मैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं । सामान्यतः जो डीडीए के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं जाते है उसकी चिंता हमको भी है और कई बातें पिछलें एक-दो साल कें अंदर कर दी गई हैं जिनमें सुधार की व्यवस्था लेने के लिए है । पांच छः जगहों पर और इस प्रकार के सब आफिस बना दिए हैं । वहां पर यहा व्यवस्था भी की जा रही है कि बिना किसी आदमी के जांच पड़ताल के आदमी सीधे अपनी सूचना कंप्यूटर के माध्य म से, सीधे लें सकें । इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है । भ्रष्टाचार है इससे मनाही नहीं की जा सकती, लेकिन इसको बराबर कम करने की प्रक्रिया चल रही हैं ।

"366 [The questioners (Shri Mool Chand Meena and Dr.T. Subbarami Reddy) were absent. For answer *videpage* 42—43 *infra]*

*367. [The questioners (Shri N.K. Premachandran and Shri Manoj Bhattacharya) were absent. For answer *vide* page 43—49 *infra]*